

प्रेस नोट दिनांक-04.11.2025

थाना इलिया जनपद चन्दौली

■ थाना इलिया पुलिस द्वारा 01 फोर्स वाहन से 04 राशि गोवंशीय पशु की बरामदगी करते हुए 01 अन्तर्राज्यीय पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांगहे द्वारा गोतस्करी व गोतस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन, दिगम्बर कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी चकिया रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह इलिया के कुशल नेतृत्व में थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.11.2025 को मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम बटौआ से 01 फोर्स वाहन संख्या- WB24Y9406 से 04 राशि गोवंशीय पशुओं की बरामदगी करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान दीपू पासवान पुत्र राम आशीष पासवान नि० ग्राम शिवरामपुर थाना चाँद जनपद कैमूर भभुआ बिहार के रूप में हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 83/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि० अधि० थाना इलिया जनपद चन्दौली पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपू पासवान पुत्र राम आशीष पासवान नि० ग्राम शिवरामपुर थाना चाँद जनपद कैमूर भभुआ बिहार

आपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 83/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि० अधि० थाना इलिया जनपद चन्दौली (नोट- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी एकत्र की जा रही है।)

बरामदगी का स्थान व समय-

ग्राम- बटौआ

दिनांक 04.11.2025 समय 06.08 बजे।

विवरण बरामदगी-

वाहन संख्या- WB24Y9406

04 राशि गोवंशीय पशु

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 2.उ०नि० रवीन्द्र कुमार सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 3.उ०नि० उमाकान्त यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली
- 4.हे०का० ज्ञानेश्वर पाण्डेय थाना इलिया जनपद चन्दौली
- 5.हे०का० जय प्रकाश सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली
- 6.हे०का० राजेश यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली।